फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

सरकार बनाम हनुमान सिंह वगै0

मुकदमा नं0 :– 38/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	8/12/25	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार व वकील प्रतिवादी सं0 1 उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी की खातेदारी वादांकित भूमि पर किसी प्रकार से कॉलोनी डवलप नही की है, ना ही मौके पर किसी प्रकार का आवासीय कॉलोनी बसावट की है। प्रार्थी ने मिथ्या आधारों पर शिकायतकर्ता द्वारा व बिना किसी प्रमाणिकृत सोसायटी के नक्शे के व बिना स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित कॉलोनी प्रस्तावित नक्शा के आधार पर गलत प्रकरण पेश किया है। जो कि विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विरूद्व व खातेदारों के अधिकारों के विरूद्व पेश किये जाने के कारण निरस्त किया जावें। पटवारी रिपोर्ट के साथ मौके पर किसी प्रकार का कोई आवासीय निर्माण की फोटो संलग्न नही की है ना किसी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष मौके पर गैर कृषि कार्य होने के बयान व दस्तावेज नही है। यह प्रकरण बिना जॉच किये व बिना मौके पर गये बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई है। वास्तविक रूप से अप्रार्थी सं0 1 का परिवार काफी बडा परिवार है जिन्होने अपने पैतृक पूर्व मकानों के जर्जर हो जाने से उक्त भूमि पर अपने निजी आवास बनाने व निजी कृषि के उपयोग के लिये इसे समतलीकरण किया गया था ओर उसी के उपयोग के लिये कच्ची मिटटी को फार्म हाउस के उपयोग हेतु रास्ते के रूप मे बनाई गई थी। मौके पर जे0डी0ए0 ने आकर समतलीकरण रूकवा दिये जाने के बाद अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि खसरा नम्बर 93 पर अपने निजी रहवास हेतु मकान बनाने की मनोस्थिति चैज कर ली तथा अपना कृषि कार्य करते है। गैर कृषि कार्य नही कर रहे है। अतः प्रकरण मिथ्या रूप से प्रस्तुत किया गया है जो विधिक रूप से नही चल सकता है जिसे खारिज फरमाया जावें। पत्रावली में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुनः तहसीलदार जमवारामगढ से रिपोर्ट मंगवायी गई। जिस पर पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवरामगढ) द्वारा अपने पत्रांक/ एल0आर0/25/9138 दिनांक 19.11.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.4300है0 खातेदार कैलाश हनुमान सिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट मौके पर कॉलोनी काटने से संबंधित कार्य प्रकियाधीन नही है। वर्तमान मे गैर कृषि कार्य उपयोग में नही लिया जा रहा है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगणों ने शपथ पत्र भी पेश किया है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब, पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि ग्राम नायला, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 93 रकबा 0.4300है0 पर अप्रार्थीगण/खातेदार द्वारा कृषि से गैर कृषि कार्य में उपयोग नही किया जा रहा है। जिसके संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।	

Scanned with OKEN Scanner